आयकर नियम, 1962

प्ररूप सं. 60

(नियम 114ख का दूसरा परंतुक देखिए)

उस व्यष्टि या व्यक्ति (जो कंपनी या फर्म नहीं है) द्वारा फाइल किए जाने वाला घोषणा के लिए प्ररूप, जिसके पास स्थायी लेखा संख्या नहीं है और जो नियम 114ख में विनिर्दिष्ट कोई संव्यवहार करता है

1	प्रथम नाम								
	मध्य नाम								
	उपनाम								
2	घोषणा करने वाले की जन्म/निगमन की तारीख	ता	ता	मा	मा	व	व	व	व
3	पिता का नाम (व्यष्टिकों के लिए)								
	प्रथम नाम								
	मध्य नाम								
	उपनाम								
4	फ्लैट /कमरा नं.	5	तल सं.						
6	परिसर का नाम	7	ब्लॉक का नाम/सं.						
8	सड़क/स्ट्रीट/गली	9	क्षेत्र/अवस्थिति						
10	नगर/शहर	11	जिला	12	राज्य				
13	पिन कूट	14	टेलीफोन संख्या (एसटीडी कूट सहित)	15	मोबाइल नंबर				
16	संव्यवहार की रकम (रू.)								
17	संव्यवहार की तारीख	ता	ता	मा	मा	व	व	व	व
18	यदि संव्यवहार साझा नाम से हुई है तो संव्यवहार में शामिल व्यक्तियों की संख्या								
19	संव्यवहार का प्रकार :	☐ नगद	☐ चेक	☐ कार्ड	☐ ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक	☐ ऑनलाइन ट्रान्सफर	☐ अन्य		
20	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार नंबर (यदि उपलब्ध है)								
21	यदि स्थायी लेखा संख्या के लिए आवेदन किया है और वह अभी तक नहीं बना है तो आवेदन की तारीख और अभिस्वीकृति संख्या	ता	ता	मा	मा	व	व	व	व
22	यदि स्थायी लेखा संख्या के लिए आवेदन नहीं किया है तो जिस वित्तीय वर्ष में संव्यवहार किया गया है उसकी कुल अनुमानित आय (जिसमें आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 64 के तहत पति/पत्नी या अव्यस्क संतान की आय भी सम्मिलित है) भरी जाए								
	क	कृषि आय (रू.)							
	ख	कृषि के अतिरिक्त आय							
23	कॉलम 1 में वर्णित पहचान के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों के ब्यौरे (पृष्ठ के पीछे अनुदेश देखें)	दस्तावेज कूट	दस्तावेज पहचान संख्या	दस्तावेज जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पता					
24	कॉलम 4 से 13 में वर्णित पते के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों के ब्यौरे (पृष्ठ के पीछे अनुदेश देखें)	दस्तावेज कूट	दस्तावेज पहचान संख्या	दस्तावेज जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पता					

सत्यापन

मैं .... एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि जो कुछ भी ऊपर कहा गया है वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। मैं आगे और यह घोषणा करता/करती हूं कि मेरे पास स्थायी लेखा संख्या नहीं है और मेरी/हमारी अनुमानित कुल आय (जिसमें आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 64 के तहत पति/पत्नी या अव्यस्क संतान की आय भी सम्मिलित है) उस वित्तीय वर्ष के लिए आय-कर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अभिकलित की गई है जिसमें उपरोक्त संव्यवहार किया गया है वह अधिकतम कर प्रभार्य से कम है।

आज तारीख ------------ माह ------------ वर्ष -20------------ को सत्यापित किया जाता है।

खाता संख्या

स्थान: ------------------------ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

नोट:

1. घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने से पहले, घोषणाकर्ता को चाहिए कि वह खुद की संतुष्टि कर लें कि इस प्ररूप में दी गई जानकारी पूर्ण रूप से सही है, सत्य है और सम्पूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति घोषणा में मिथ्या कथन करता है तो वह आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 277 के अधीन अभियोजन का दायी होगा और दोष सिद्ध होने पर दंडनीय होगा,

(i) ऐसी दशा में अपवंचन के लिए जहां कर पच्चीस लाख रुपए से अधिक होता है, कठोर कारावास, जो छह महीने से कम नहीं होगा, किंतु जो सात वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना;

(ii) किसी अन्य मामले में, कठोर कारावास जो तीन महीने से कम नहीं होगा किंतु जो दो वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना।

2. घोषणा को स्वीकार करने वाला व्यक्ति वहां घोषणा को स्वीकार नहीं करेगा जहां मद 22ख में निर्दिष्ट प्रकृति की आय की रकम उस रकम से अधिक हो जाती है जो कर के प्रभार्य नहीं है, जब तक कि स्थायी लेखा संख्या के लिए आवेदन नहीं किया जाता है और कॉलम 21 को विधिवत भरा जाता है।

अनुदेश:

(1) पहचान और पते के संबंध में जो दस्तावेज प्रस्तुत किए जा सकते हैं (यदि स्थायी लेखा संख्या के लिए आवेदन दिया है और मद 20 भरा है तो आवश्यक नहीं है):

क्रम	दस्तावेजों की प्रकृति		दस्तावेज कूट	पहचान प्रमाण	पते का प्रमाण
क	**व्यष्टिकों और हिन्दू अविभक्त कुटुंब के लिए**				
	1	आधार कार्ड	**01**	हाँ	हाँ
	2	बैंक/डाकघर का पासबुक जिसमें व्यक्ति का फोटो हो	**02**	हाँ	हाँ
	3	निर्वाचन फोटो पहचान पत्र	**03**	हाँ	हाँ
	4	राशन/सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्ड जिसमें व्यक्ति का फोटो हो	**04**	हाँ	हाँ
	5	ड्राइविंग लाइसेंस	**05**	हाँ	हाँ
	6	पासपोर्ट	**06**	हाँ	हाँ
	7	पेंशनर फोटो कार्ड	**07**	हाँ	हाँ
	8	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नरेगा) जॉब कार्ड	**08**	हाँ	हाँ
	9	जाति या अधिवासी प्रमाणपत्र जिसमें व्यक्ति का फोटो हो	**09**	हाँ	हाँ
	10	प्ररूप 49क में उल्लिखित उपाबंध क के अनुसार संसद सदस्य या विधायक या नगर निगम के पार्षद या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पहचान/पते का प्रमाण पत्र	**10**	हाँ	हाँ
	11	प्ररूप 49क में उल्लिखित उपाबंध ख के अनुसार नियोजक से प्रमाण पत्र	**11**	हाँ	हाँ
	12	किसान पासबुक जिसमें फोटो हो	**12**	हाँ	नहीं
	13	हथियार लाईसेंस	**13**	हाँ	नहीं
	14	केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना/ पूर्व सैनिक अभिदाय स्वास्थ्य योजना कार्ड	**14**	हाँ	नहीं
	15	शासकीय/ सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र	**15**	हाँ	नहीं
	16	बिजली बिल (जो 3 माह से अधिक पुराना न हो)	**16**	नहीं	हाँ
	17	लैंडलाइन टेलीफोन बिल (जो 3 माह से अधिक पुराना न हो)	**17**	नहीं	हाँ
	18	पानी का बिल (जो 3 माह से अधिक पुराना न हो)	**18**	नहीं	हाँ
	19	गैस ग्राहक कार्ड/बही या पाइप गैस का बिल (जो 3 माह से अधिक पुराना न हो)	**19**	नहीं	हाँ
	20	बैंक खाता विवरण (जो 3 माह से अधिक पुराना न हो)	**20**	नहीं	हाँ
	21	क्रेडिट कार्ड विवरण (जो 3 माह से अधिक पुराना न हो)	**21**	नहीं	हाँ
	22	निक्षेपागार खाता विवरण (जो 3 माह से अधिक पुराना न हो)	**22**	नहीं	हाँ
	23	सम्पत्ति रजिस्ट्रेशन दस्तावेज	**23**	नहीं	हाँ
	24	सरकारी आवास का आबंटन पत्र	**24**	नहीं	हाँ
	25	पत्नी/पति का पासपोर्ट जिसमें व्यक्ति का नाम हो	**25**	नहीं	हाँ
	26	संपत्ति कर संदाय रसीद (जो एक वर्ष से अधिक पुराना न हो)	**26**	नहीं	हाँ
ख		**व्यक्तियों के संघ (न्यास) के लिए**			
		न्यास विलेख की प्रति या चैरिटी आयुक्त द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन के प्रमाणपत्र की प्रति	**27**	हाँ	हाँ
ग		**व्यक्तियों के संघ (न्यास के अतिरिक्त) या व्यष्टिकों के निकाय या स्थानीय प्राधिकरण या कृत्रिम विधिक व्यक्ति के लिए**			
		समझौते की प्रति या चैरिटी आयुक्त या सहकारी समिति के रजिस्ट्रार या कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन के प्रमाणपत्र की प्रति या केंद्रीय या राज्य सरकार के किसी विभाग से ऐसे व्यक्ति की पहचान और पता स्थापित करने वाले कोई अन्य दस्तावेज	**28**	हाँ	हाँ

(2) किसी अव्यस्क के नाम पर संव्यवहार होने की दशा में ऐसे अव्यस्क के माता-पिता/अभिभावक का उपरोक्त में वर्णित पहचान और पते का कोई भी प्रमाण उस अव्यस्क का पहचान और पते का प्रमाण मना जाएगा और घोषणा को माता-पिता/अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।

(3) हिंदु अविभक्त कुटुंब के लिए हिंदु अविभक्त कुटुंब के कर्ता के नाम पर कोई दस्तावेज अपेक्षित है।

(4) एक से अधिक व्यक्तियों के नाम पर संव्यवहार होने की दशा में सभी व्यक्तियों की कुल संख्या क्रम संख्या 18 में वर्णित की जाएगी और संव्यवहार की कुल रकम क्रम संख्या 16 में भरी जाएगी।

यदि कॉलम 22ख में अनुमानित कुल आय अधिकतम कर प्रभार्य से अधिक होता है तो व्यक्ति को स्थायी लेखा संख्या के लिए आवेदन देना होगा, मद 21 भरना होगा और आवेदन देने का प्रमाण देना होगा।